उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या– 01/2024/1785/छप्पन-2023-31/2016(Stage-2A)
लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) के अन्तर्गत नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि के अर्जन हेतु अधिनियम की धारा-4 में दी गई व्यवस्था के अनुक्रम में सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-820/छप्पन-2023-31-2016(स्टेज-2ए) दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) के लिए एजेन्सी नामित किया गया है। उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम, 2013 की धारा-7(1) के अन्तर्गत निम्नवत् बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाता है:-

क्र0	नाम/पदनाम	पता/मोबाइल नम्बर/ई-मेल आई0डी0	प्रतिनिधि
1.	**Prof. Satish Kumar** School of Social Sciences,	Indira Gandhi National Open University. New Delhi-110068 Mob: 9313487857 **Email:** satishkumar@ignou.ac.in	दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिक
2.	**Prof. Neena Pandey** Delhi School of Social Work,	University of Delhi, Delhi-110007 Mob: 9971881517 **Email:** neena.aditi@gmail.com	
3.	**श्री अरविन्द कुमार** पुत्र तेजपाल सिंह,	नि0 ग्राम नीमका शाहजहांपुर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर। मो0नं0 9634101584	ग्राम सभा के दो प्रतिनिधि
4.	**श्रीमती रीता** पत्नी प्रेमवीर सिंह	नि0 ग्राम थोरा, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर। मो0नं0 6398755748	
5.	**Sh. Prabhat Jha** Programme Head, ASAE	Learning Center-76, Second Floor National Park, Lajpat Nagar IV New Delhi, Delhi-110024 Mob: 9899756005 **Email:** altcyber@gmail.com	पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी दो विशेषज्ञ
6.	**Prof. Santosh Kumar (Chairperson)** Professor and Head Economic Development and Planning,	National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Govt. of India IP Estate, Ring Road, New Delhi 110002, India Mob: 9810006197 **Email:** profsantosh@gmail.com	
7.	**Sh. Vijay Rawal,** D.G.M., (Civil)	Noida Industrial Development Authority, Gautam Budh Nagar. Mob. No. 9205691103	परियोजना से सम्बन्धित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात रिपोर्ट का मूल्यांकन, अधिनियम 2013 की धारा-7 की उपधारा (4) और (5) में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जाएगा और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के 02 माह के भीतर अपनी संस्तुतियां यथाप्रक्रिया समुचित सरकार को उपलब्ध कराई जाएंगी।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0सं0- 01/2024/1785(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. रजिस्ट्रार, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. मण्डलायुक्त, मेरठ/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. Prof. Satish Kumar, School of Social Sciences, Indira Gandhi National Open University. New Delhi-110068.
7. Prof. Neena Pandey, Delhi School of Social Work, University of Delhi, Delhi-110007.
8. श्री अरविन्द कुमार पुत्र तेजपाल सिंह, नि0 ग्राम नीमका शाहजहांपुर, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
9. श्रीमती रीता पत्नी प्रेमवीर सिंह, नि0 ग्राम थोरा, परगना व तहसील जेवर, गौतमबुद्धनगर।
10. Sh. Prabhat Jha, Programme Head, ASAE, Learning Center-76, Second Floor National Park, Lajpat Nagar IV, New Delhi, Delhi-110024.
11. Prof. Santosh Kumar, Professor and Head, Economic Development and Planning, National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Govt. of India IP Estate, Ring Road, New Delhi 110002, India.
12. Sh. Vijay Rawal, D.G.M., (Civil), Noida Industrial Development Authority, Gautambudh Nagar.
13. कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर को उनके पत्रांक-10038/आठ-अ0जि0अ0 (भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर दिनांक 15.12.2023 के सन्दर्भ में।
14. नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया)/विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
15. राजस्व अनुभाग-13/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in